



राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड

NATIONAL CAPITAL REGION PLANNING BOARD

प्रथम तल, कोर-IV बी, / 1st Floor, Core-IV B,

भारत पर्यावास केन्द्र, / India Habitat Centre,

लोधी रोड, नई दिल्ली-110003 / Lodhi Road, New Delhi-110003

आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय / Ministry of Housing and Urban Affairs

दूरभाष/Phone: 011-24642284, 24642287 फैक्स/Fax: 011-24642163

नं.:बी-20018(6)/Comt.charges/2020-21/F&A

18 दिसंबर, 2020

परिपत्र

विषय: राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड द्वारा ऋण पर प्रतिबद्धता प्रभार (अतिरिक्त एजेंडा आइटम नंबर 11)

संदर्भ: 39वीं बोर्ड बैठक का कार्यवृत्त।

जैसा कि आप जानते हैं कि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड एनसीआर में राज्य सरकारों और उनकी संबंधित कार्यान्वयन एजेंसियों को एनसीआर क्षेत्र में बुनियादी अवसंरचना विकास परियोजनाओं के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करता है।

2. इस संबंध में, दिनांक 05.10.2020 को आयोजित बोर्ड की 39वीं बैठक के कार्यवृत्त और उसके बाद लिए गए निर्णय का संदर्भ लें। बोर्ड ने ऋण के गैर-आहरण और विलम्बित आहरण पर प्रतिबद्धता शुल्क लगाने को मंजूरी दी। तदनुसार, अनुमोदन के पश्चात, गैर-आहरण और विलम्बित आहरण पर किस्त के अनुसार 0.05% प्रति वर्ष की दर से प्रतिबद्धता शुल्क लगाया जाएगा। प्रतिबद्धता शुल्क केवल ऋण स्वीकृति के बाद लगाया जाएगा। सड़क परियोजनाओं के मामले में स्वीकृति आदेश के अनुसार किस्त की देय तिथि से छह महीने के बाद और अन्य मामलों में किस्त की देय तिथि से एक वर्ष के बाद इसे लगाया जाएगा।

ह/-

(जगदीश परवानी)

निदेशक (प्रशासन और वित्त)

दूरभाष: 24603138